



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941

No. 407]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 16 जुलाई, 2019

सं. फेमा 5 (आर) 2 /2019-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 498(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (f) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 5(आर)/2016-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियमावली, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

2. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. विनियमों का संशोधन:

विनियम 6 का उप-विनियम 3 और इसमें लिखे हुए सभी शब्द और अभिव्यक्तियां हटा दी जाएंगी।

[फा. सं. 1/31/EM/2015]

आर.के.मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : प्रमुख विनियमावली का प्रकाशन शासकीय राजपत्र में जी.एस.आर. 389(ई) दिनांक 1 अप्रैल 2016 को भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए और बाद में 9-11-2018 को जी.एस.आर. 1093 (ई) के माध्यम से संशोधित किए गए।

**RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)**

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th July, 2019

No. FEMA 5 (R) 2/2019-RB

Foreign Exchange Management (Deposit)(Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 498 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 5(R)/2016-RB dated April 01, 2016, the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, as amended from time to time, namely :-

2. Short title and commencement: -

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2019.
(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations: -

Sub-regulation 3 of regulation 6 including all the words and expressions contained therein shall be deleted.

[F.No. 1/31/EM/2015]

R.K.MOOLCHANDANI, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 389(E) dated April 01, 2016 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide G.S.R.1093 (E) dated 09.11.2018.